

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 2023 (फाल्गुन 24, शक संवत् 1944) विधान सभा पूर्वाह्न 11:03 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 130 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 145 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. बहिर्गमन

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मध्यप्रदेश में कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 1330) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया.

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

- (1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की आदमगढ़ रेल्वे पुलिया नर्मदापुरम में निरंतर पानी का भराव होने से नागरिकों को आवागमन में अस्विधा उपलब्ध होने,
- (2) श्री रामलाल मालवीय, सदस्य की उज्जैन में कोविड-19 की अंतर्गत स्वर्गीय शिक्षकों की अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण लंबित होने,
- (3) श्री महेश परमार, सदस्य की मध्यप्रदेश में दिहाड़ी मजदूरों की खुदकुशी के घटनाओं में शासन की लापरवाही के कारण काफी वृद्धि होने,
- (4) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय, सदस्य की हटा नगर में रेस्ट हाउस के सामने पुल निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत भी पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ न कराये जाने.
- (5) श्रीमती कल्पना वर्मा, सदस्य की कटनी जिले में विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही बिजली चोरी कराई जाने,
- (6) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की म.प्र. की वित्तीय अधिष्टान में जमाकर्ता हित संगठन अधिनियम 2000 व बुड्स एक्ट 2019 अनियमितता योजना पाबंदी कानून के तहत ठगी होने,
- (7) श्री बहादूर सिंह चौहान, सदस्य की प्रदेश में वर्षों से सेवारत लाखों अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने,
- (8) श्री दिनेश राय मुनमुन, सदस्य की सिवनी विधानसभा क्षेत्र में पेंच व्यपवर्तन नहर निर्माण परियोजना अंतर्गत धीमी गति से बन रहे नहरों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराये जाने,
- (9) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य की कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हर घर जल योजना अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों में विभागीय अधिकारियों द्वारा बडे पैमानों पर भ्रष्टाचार किये जाने तथा
- (10) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की भारतीय संस्कृति ज्ञान पद्धती को स्कूल शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रमों में शामिल किये जाने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं.

4. शून्यकाल में मौखिक उल्लेख

(1) परीक्षाओं के पेपर लीक होने से छात्रों का भविष्य खराब होना

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूल की परीक्षाएं चल रही हैं और इनके पेर लगातार लीक हो रहे हैं. छात्रों के भविष्य के प्रति सरकार सचेत नहीं है. माननीय गृह मंत्री पेपर लीक करने वालों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराकर सजा दिलवाएं. जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित रह सके.

(2) इन्दौर स्थित गणपति घाट राजमार्ग में मौतें होना

श्री पांचीलाल मेड़ा एवं डॉ. विजय लक्ष्मी साधौ, सदस्यगण ने उल्लेख किया कि इंदौर के पास गणपित घाट राजमार्ग जब से चालू हुआ है तब से हजारों लोग मर रहे है. परसों भी चार लोग जल कर मर गये, परन्तु रोड को बजट में नहीं लिया गया है. मैंने इस पर ध्यानाकर्षण दिया है. आसंदी इसे ग्राह्य करे.

(3) गैस त्रासदी में पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जाना

श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया कि मध्यप्रदेश में 1984 में जो गैस त्रासदी हुई सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा देरी से जवाब प्रस्तुत करने के कारण पीड़ितों को लगभग आठ हजार करोड़ का मुआवजा अब नहीं मिल पायेगा. अब यह मुआवजा प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार उन्हें दे.

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री ने मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2021-22 पटल पर रखा.

6. ध्यानाकर्षण

- (1) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य ने राजगढ़ एवं आगर जिले के नलखेड़ा-छापीहेड़ा सड़क मार्ग जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोपाल भार्गव ने चर्चा का उत्तर दिया.
- (2) सर्वश्री शरदेन्दु तिवारी तथा पंचूलाल प्रजापित, सदस्यगण ने रीवा जिले के ग्राम अमिरती स्थित शासकीय तालाब के भीठे का अवैधानिक पट्टा दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने चर्चा का उत्तर दिया.

7. आवेदनों की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा आवेदन प्रस्तुत हुए माने गए :-

- (1) श्री घनश्याम सिंह (जिला-दितया)
- (2) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को (जिला-अनूपपुर)
- (3) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
- (4) श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे (जिला-देवास)
- (5) श्री मेवाराम जाटव (जिला-भिण्ड)
- (6) श्री मुकेश रावत (पटेल) (जिला-अलीराजपुर)
- (7) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (8) श्री भूपेन्द्र मरावी (जिला-डिण्डौरी)
- (9) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार 'रजौधा' (जिला-मुरैना)
- (10) श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (11) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (12) श्री कुंवरजी कोठार (जिला-राजगढ़)
- (13) श्री महेश राय (जिला-सागर)
- (14) श्री दिनेश राय 'मुनमुन' (जिला-सिवनी)
- (15) श्री पंचूलाल प्रजापति (जिला-रीवा)
- (16) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (17) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)

- (18) श्री अनिरुद्ध 'माधव' मारू (जिला-नीमच)
- (19) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (20) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
- (21) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
- (22) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)
- (23) श्री आशीष गोविन्द शर्मा (जिला-देवास)
- (24) श्री आलोक चतुर्वेदी (जिला-छतरपुर)
- (25) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (26) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (27) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
- (28) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़)
- (29) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (30) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
- (31) सुश्री चन्द्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
- (32) डॉ. हिरालाल अलावा (जिला-धार)
- (33) श्रीमती सुनीता पटैल (जिला-नरसिंहपुर)
- (34) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
- (35) श्री शैलेन्द्र जैन (जिला-सागर शहर)
- (36) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
- (37) श्री रामचंद्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (38) श्री विक्रम सिंह राणा (जिला-शाजापुर)
- (39) श्री आरिफ मसूद (जिला-भोपाल शहर)
- (40) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)

8. वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-2023 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया.

9. वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री द्वारा दिनांक 1 मार्च, 2023 को सदन में उपस्थापित, वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक पर 14 मार्च, 2023 को हुई चर्चा के क्रम में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भी भाग लिया गया :-

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

(10) श्री विनय सक्सेना

सभापति महोदय द्वारा यह घोषणा की गई कि सदन की लाबी में भोजन की व्यवस्था की गई है. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सुविधानुसार भोजन ग्रहण करने का कष्ट करें.

- (11) श्री आशीष गोविन्द शर्मा
- (12) श्री जयवर्द्धन सिंह
- (13) श्री सूबेदार सिंह रजौधा
- (14) श्री प्रवीण पाठक
- (15) श्री अनिरूद्ध माधव मारू
- (16) डॉ. अशोक मर्सकोले
- (17) श्री हरि सिंह सप्रे
- (18) श्री रविन्द्र सिंह तोमर
- (19) श्री दिलीप सिंह परिहार
- (20) श्री सुनील सराफ
- (21) इंजी. प्रदीप लारिया

सभापति महोदय (श्री लक्ष्मण सिंह) पीठासीन हुए.

(22) श्री अजय कुमार टण्डन

- (23) कुंवर प्रद्यम्न सिंह लोधी
- (24) डॉ. हिरालाल अलावा
- (25) श्री जजपाल सिंह जज्जी
- (26) श्री ओमकार सिंह मरकाम
- (27) श्री देवीलाल धाकड़

सभापति महोदय (श्री हरिशंकर खटीक) पीठासीन हुए.

- (28) श्री प्रियव्रत सिंह
- (29) श्रीमती मनीषा सिंह
- (30) श्री सोहनलाल बाल्मीक

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

10. बहिर्गमन

श्री तरूण भनोत एवं श्री प्रियव्रत सिंह, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण द्वारा वित्त मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया.

11. विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार एवं स्वीकृति.

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापित, विशेषाधिकार समिति ने माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में समिति द्वारा निरंतर कार्य करते हुये अपना प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने हेतु सभी माननीय सदस्यों एवं अधिकारियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित की गई.

तद्नुसार, डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय ने प्रस्ताव किया कि - मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 229 एवं 230 के अंतर्गत प्रस्ताव करता हूँ कि - "यह सदन दिनांक 21 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार कर उसे स्वीकार करे."

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ.

आसंदी द्वारा इस पर सदन का मत लिया गया.

दिनांक: 15 मार्च, 2023

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

अपराह्न 5.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 16 मार्च, 2023 (25 फाल्गुन, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:

अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.